(8) फैक्स

संख्या –1192/1–10–2011–14(23)/2004

प्रेषक

केoकेo सिन्हा
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी
आगरा।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांक 26 अप्रैल, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के अंतर्गत 03–05 मई, 2011 तक आगरा में सेमिनार के आयोजन हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–795/विविध लिपिक, दिनांक 18 अप्रैल, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण (NDMA) द्वारा 03 मई से 05 मई, 2011 तक आपके जनपद में आयोजित सेमिनार में व्यय हेतु रू0 2,00,000/– (रूपये दो लाख मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03– आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. शासन द्वारा स्वीकृति धनराशि में से यदि बचत संभव हो तो उसे कार्यक्रम समाप्ति के उपरान्त आपदा राहत निधि के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जायेगा।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्य हेतु ही किया जाय। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो। यदि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण (NDMA) द्वारा उक्त आयोजन हेतु धनराशि जनपद को प्रदान की जाती है, तो आवंटित धनराशि उसमें से समायोजित कर ली जाये तथा उसे शासन को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेज दिया जाये।

5. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

6. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(केoकेoसिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या – 1192/1–10–2011–14(23)/2004टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)/(आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, आगरा।
3. मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
4. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, आगरा।
6. वरिष्ठ तकनिकी निदेशक एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत वेब साइट पर अपलोट करने हेतु प्रेषित।
7. अनुभाग– 6/10/11 ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।